(आयोग की वेबसाइट https://ssc.gov.in पर दिनांक 26.09.2025 को अपलोड किए जाने हेतु)

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक स॰ 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधीरोड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

(कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की वेबसाईट : https://ssc.gov.in)

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप-निरीक्षक परीक्षा, 2025

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	26.09.2025 से 16.10.2025
ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	16.10.2025 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान हेतु अंतिम तिथि और समय	17.10.2025 (23:00 बजे)
'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान की तारीख	24.10.2025 से 26.10.2025 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	नवंबर-दिसंबर, 2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई में मामले में काल किए जाने हेतु टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर	1800 309 3063 (टोल फ्री)

''सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.''

E/13/2025-C-2 अनुभाग : कर्मचारी चयन आयोग **दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (के.स.पु.ब.) में उप-निरीक्षकों (उ.नि.)** की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, प्रधान सिपाहियों और सहायक उप-निरीक्षकों में से विभागीय अभ्यर्थी जिनकी **पैरा 5.1** पर दी गई निर्धारित तिथि को न्यूनतम सेवा तीन वर्ष हो और अधिकतम आयु 30 वर्ष (अपिव के लिए 33 वर्ष और अजा / अजजा के लिए 35 वर्ष) से अधिक न हो, वे भी उप-निरीक्षक (कार्यकारी)-पुरूष की खुली और विभागीय रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है:

1.1 <u>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) :</u> इस पद का वेतनमान स्तर-6 (35400-1,12,400/- रूपए) है और यह समूह 'ख' (अराजपत्रित), गैर अनुसचिवीय के रूप में वर्गीकृत है।

1.2 <u>दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी)- (पुरुष / महिला) :</u> इस पद का वेतनमान स्तर-6 (35400-1,12,400/- रूपए) है और यह दिल्ली पुलिस द्वारा समूह 'ग' (अराजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. अनुमानित रिक्तियां :

दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी) – पुरुष

विवरण	अना.	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा.	आ.क.व	कुल
खुली रिक्तियां	50	27	15	08	14	114
भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.)	04	02	01	01	–	08
भूतपूर्व सैनिक (विशेष श्रेणी)	03	02	01	–	–	06
विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण	06	04	02	01	01	14
कुल रिक्तियां	**63**	**35**	**19**	**10**	**15**	**142**

दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (कार्यकारी) – महिला

विवरण	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	आ.क.व.	कुल
खुली रिक्तियां	32	17	09	05	07	70
कुल रिक्तियां	32	17	09	05	07	70

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी)

बल का नाम	लिंग	अना	आ.क.व.	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	योग	भूपूसै @10%
के.रि.पु.ब	पुरूष	407	101	272	151	75	1006	1029	103
	महिला	10	2	6	3	2	23		
सी.सु.ब.	पुरूष	87	21	57	31	16	212	223	22
	महिला	4	1	3	2	1	11		
भा.ति.सी.पु.	पुरूष	85	18	52	32	11	198	233	23
	महिला	15	3	9	6	2	35		
के.औ.सु.ब	पुरूष	473	116	314	175	86	1164	1294	130
	महिला	53	13	35	19	10	130		
स.सी.ब.	पुरूष	30	7	14	15	5	71	82	8
	महिला	6	1	4	0	0	11		
कुल	पुरूष	**1082**	**263**	**709**	**404**	**193**	**2651**		

	महिला	**88**	**20**	**57**	**30**	**15**	**210**	**286 1**	**286**

2.1. के.स.पु.ब. में उपनिरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की सेवा अखिल भारतीय तैनाती के अध्यधीन है।

2.2 आयोग इस परीक्षा के लिए न तो राज्य-वार, क्षेत्र-वार, अंचल-वार, नगर-वार आदि रिक्तियों का संग्रहण करता है और न ही उनके अनुसार अभ्यर्थियों का आबंटन करता है।

3. <u>पदों का आरक्षण और उपयुक्तता :</u>

3.1 के.स.पु.ब., गृह मंत्रालय (एमएचए) और दिल्ली पुलिस द्वारा यथा- निर्धारित व संप्रेषित पदों / सेवाओं हेतु अनुसूचित जाति (अ.जा) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) / अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आ.क.व.)/भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए आरक्षण, जहां लागू एवं अनुमत्य हो, मौजूदा सरकारी आदेशों, नियमों व विनियमों, दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

3.2 आयोग विभिन्न पदों के लिए गृह मंत्रालय (के.स.पु.ब.) और दिल्ली पुलिस द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। के.स.पु.ब., गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस में रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का क्रियान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना के.स.पु.ब., गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के कार्यक्षेत्र में आता है।

3.3 **दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (कार्यकारी) – पुरूष** के पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण उपलब्ध है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

3.3.1 भूतपूर्व सैनिकों के कोटे में से, 50% ऐसा कोटा भूतपूर्व सैनिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा:

3.3.1.1 विशेष बल/राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (विशेष कार्रवाई समूह), में सेवा की गई हो,

अथवा

3.3.1.2 कमांडो कोर्स में "अर्हताप्राप्त अनुदेशक" ग्रेडिंग प्राप्त की हो,

अथवा

3.3.1.3 नौसेना / वायुसेना के अधिकारी जिन्होंने विशेषीकृत कमांडो प्रकार की यूनिटों में काम किया हो ।

3.3.2 यदि बिंदु **3.3.1.1, 3.3.1.2 और 3.3.1.3** के अंतर्गत श्रेणियों में भूतपूर्व सैनिकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो खाली रह गई रिक्तियों को अन्य उपलब्ध पूर्वसैनिक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा ।

4. <u>राष्ट्रीयता / नागरिकता :</u>

4.1. अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से होना चाहिए :

4.1.1 भारत का नागरिक, या

4.1.2. नेपाल की प्रजा, या

4.1.3 भूटान की प्रजा.

4.2 बशर्ते कि उपरोक्त **4.1.2 और 4.1.3** श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

4.3 ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा ।

5. **आयु सीमा (दिनांक 01.08.2025 के अनुसार) :**

5.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 14017 /70/87-Estt.(RR), दिनांकित 14.07.1988 के प्रावधानों के अनुसार आयु गणना के लिए निर्णायक तिथि 01.08.2025 निर्धारित की गई है। पदों के लिए आयु सीमा 20-25 वर्ष है; अर्थात आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 02.08.2000 से पहले और 01.08.2005 के बाद नहीं होना चाहिए।

5.2 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों को छोड़कर, विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में अनुमत्य छूट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा .सं . 15012/2/2010-Estt.(D), दिनांकित 27.03.2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार है:

कोड	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुमत्य छूट**
01	अ.जा. / अ.ज.जा.	5 वर्ष
02	अ.पि.व.	3 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदत्त सैन्य सेवा घटाने के बाद 3 वर्ष।
दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए (श्रेणी कोड -12 और 13)		
12	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो।	35 वर्ष की आयु तक
13	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अ.जा. / अ.ज.जा.)	40 वर्ष की आयु तक
केवल दिल्ली पुलिस की रिक्तियों के लिए दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (श्रेणी कोड -17, 18 और 19)		
17	विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित/आकवि) जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	30 वर्ष की आयु तक

18	विभागीय अभ्यर्थी (अपिव) जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	33 वर्ष की आयु तक
19	विभागीय अभ्यर्थी (अजा / अजजा) जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो	35 वर्ष की आयु तक

5.3 आयोग द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्रों में दर्ज है और बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।

5.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-Estt (Res) में यथा-उल्लिखितानुसार वह उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता / सकती है, यदि वह सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता करता है / करती है / वचन देता है / वचन देती है।

5.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अपसर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

5.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद / सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। तथापि, यदि चयन प्रक्रिया (आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से अंतिम परिणाम की घोषणा तक) में एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद सशस्त्र बलों से स्वयं को कार्यमुक्त कराया है।

5.7 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक के समूह 'ग' पदों में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा। इसलिए, जिन गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, अथवा ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे किसी भी पद के लिए पात्र नहीं हैं।

5.8 **<u>स्पष्टीकरण :</u>** भूतपूर्व सैनिक से आशय उस व्यक्ति से है-

5.8.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(i) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्त या निर्मुक्त या सेवा मुक्त किया गया हो,

अथवा

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो;

अथवा

(iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो,

अथवा

5.8.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं;

अथवा

5.8.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

5.8.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

5.8.5 प्रांतीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

5.8.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

5.9 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र व पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट / भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अनुमत्य नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

6. <u>प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:</u>

6.1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचीबद्ध परन्तु केंद्रीय सूची में शामिल न किए गए अ.पि.व. अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण-पत्र केवल आरक्षण और आयु में छूट के प्रयोजनार्थ दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस में केवल उप निरीक्षक के पद के लिए अ.पि.व. और अन्य सभी पदों के लिए अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में माना जाएगा।

6.2. जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, प्राधिकारी (प्राधिकारियों) द्वारा मांगे जाने पर उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्रधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/ आकव / भूपूसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएगी। प्रमाणपत्रों के प्रारुप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ **संलग्न** किए गए हैं। किसी अन्य प्रारूप में दिए गए प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

6.3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को यह अवश्य सुनिश्चित करना चहिए कि उसके पास जाति या समुदाय का प्रमाणपत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है / आती है। अपिव श्रेणी के वे आवेदक, जो समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं और आयु-छूट, आरक्षण आदि चाहते हैं, उन्हें प्रारूप **(अनुबंध-VI)** के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट: आयोग अभ्यर्थियों से निर्णायक/कट-ऑफ तिथि के भीतर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ज़ोर नहीं देगा। अपिव अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके दावे के सत्यापन के अधीन अनंतिम रहेगी।

6.4 आ.क.व. (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास दिनांक 31.01.2019 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं 36039/1/2019-Estt(Res.) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय और संपत्ति का वैध प्रमाणपत्र है। आकव श्रेणी के आरक्षण की मांग करने वाले आवेदकों को जब भी संबंधित आयोग/उपयोगकर्ता विभाग द्वारा मांगा जाएगा, अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी से प्रारूप **(अनुलग्नक-VII)** के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आरक्षण आदि के लिए उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.5 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यता, जाति / श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती है और उन्हें संतोषजनक नहीं पाया जाता है। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / भूपूसै / दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी आदि होने का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा ।

6.6 अजा / अजजा / अपिव / आकव आदि से संबंधित होने का दावा करने या कोई लाभ, जैसे शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि लेने हेतु निर्णायक तिथि, जहां अन्यथा उसका उल्लेख नहीं किया गया हो, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक प्रासंगिक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

7. <u>अनिवार्य शैक्षिक योग्यता (ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को) :</u>

7.1 सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष है । जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक डिग्री या समकक्ष परीक्षा दी है, वे भी आवेदन कर सकते हैं, तथापि उन्हें कट-ऑफ तारीख अर्थात **ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

7.2 भारत के राजपत्र में प्रकशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी आधिनियम द्वारा स्थपित विश्वविद्यालयों,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी आधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत: ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्री को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी गई है जब अभ्यर्थियों द्वारा वह योग्यता हासिल की गई हो, तो शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों के पास मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र हैं, तो प्राधिकारी (प्राधिकारियों) द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र मांगे जाने पर, उन अभ्यर्थियों को प्रासंगिक अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की गई मंजूरी भी प्रस्तुत करनी होगी।

7.3 इसके अतिरिक्त, भारत के राजपत्र में दिनांक 23.06.2017-को प्रकाशित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 के भाग-III (8) (v) के अनुसार मुक्त एवं दूरस्थ अभिगम माध्यम से अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकत्सा, नर्सिंग, औषध विज्ञान, वास्तुकला और भौतिक चिकित्सा के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं हैं। तथापि, बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, जो इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को प्रदान किया गया था, यथा-प्रयोज्य, मान्य माना जाएगा।

7.4 जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, परन्तु शैक्षिक योग्यता हासिल कर लेंगे और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक इसके समर्थन में बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे, वे भी पात्र होंगे।

7.5 उन सभी अभ्यर्थियों को, जिन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.)/ शारीरिक मानक परीक्षा (शा.मा.प.) और चिकित्सा परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा चरण में अर्हताप्राप्त घोषित किए गए हैं, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्र, जैसे-अंक तालिका / प्रोविजनल डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी, जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि शैक्षिक अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, उनके लिए शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से विचार किया जाएगा। यह पुन: बताया जाता है कि बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा विशिष्ट तारीख तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण कट-ऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

7.6 समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, यदि किसी प्राधिकारी (प्राधिकारियों) द्वारा समकक्षता प्रमाणपत्र मांगा जाता है, तो अभ्यर्थियों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रासंगिक समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऐसे प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों / संगठनों / नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

7.7 **दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद हेतु (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए)** : दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद हेतु पात्र होने के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा और माप परीक्षा (पीईएंडएमटी) के लिए निर्धारित तारीख पर पुरुष अभ्यर्थियों के पास एलएमवी (मोटरसाइकिल और कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास एलएमवी (मोटरसाइकिल और कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वे केवल के.स.पु.ब. में ही उप निरीक्षक के पद के लिए पात्र हैं।

7.8. अभ्यर्थी अपनी खेल-संबंधी जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्दिष्ट खेल कॉलम में **अनुबंध-X** के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। **कृपया ध्यान दें कि खेल प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त लाभ/अंक प्रदान नहीं किए जाएँगे।**

8. आवेदन कैसे करें :

8.1 इस विज्ञप्ति के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करना होगा। पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। ओटीआर के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर ओटीआर जनरेट हो जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत निर्देश इस परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

8.2 आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से, एसएससी (मुख्यालय) की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर या **'mySSC' मोबाइल एप्लिकेशन** (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** के साथ-साथ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल ऐप से संबंधित दिनांक **02.06.2025 की सूचना** देखें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र का नमूना प्रपत्र **अनुबंध-Iक और अनुबंध-IIख** के रूप में संलग्न है।

8.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई तस्वीर और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर-आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल पर प्रवेश के लिए **हाल ही में खींची गई रंगीन तस्वीरें, मूल वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।**

8.4. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए, अभ्यर्थी के पास पहले से मौजूद अपनी तस्वीर होना आवश्यक नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की वास्तविक समय की तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभ्यर्थी को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा/बैठना होगा और तस्वीर लेते समय निम्नलिखित निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा:-

8.1.1 अच्छी रोशनी और सादे पृष्ठभूमि वाली जगह ढूंढें।

8.1.2 फ़ोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के स्तर पर हो।

8.1.3 कैमरे के ठीक सामने खड़े हों और सीधे आगे देखें।

8.1.4 सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से हो और न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर। यह क्षेत्र को पूरी तरह से ढकना चाहिए, और चेहरे का कोई भी हिस्सा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए।

8.1.5 फ़ोटो लेते समय अभ्यर्थियों को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

स्वीकार्य/अस्वीकार्य तस्वीरों के नमूने **अनुबंध-IIड.** में दिए गए हैं।

8.5. परीक्षा में बैठते समय अभ्यर्थी का रूप-रंग ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होना चाहिए। **अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर साफ़ हो, बिना टोपी या चश्मे के हो और सामने का पूरा दृश्य दिखाई दे।** निर्देशों के अनुरूप न होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं।

किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर ली गई हो, तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएँगे। **हालाँकि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएँगे।**

8.6. अभ्यर्थियों को स्कैन किए गए हस्ताक्षर जेपीइजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर का आकार लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटोग्राफ या धुंधले/छोटे हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएँगे। **हालाँकि, उपरोक्त आधार पर अस्वीकृति उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने आवेदन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया है।**

8.7. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **16.10.2025 (23:00 बजे)** है।

8.8. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण एसएससी वेबसाइट पर कनेक्शन कटने/लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

8.9. उपरोक्त कारणों से या आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा न कर पाने के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

8.10. **ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को प्रिव्यू/प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है। उन्हें यह भी जांचना चाहिए कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की सलाह दी जाती है।**

8.11. अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दी गई जानकारी को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेजों के संदर्भ में उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत है, तो उसकी अभ्यर्थिता तुरंत अस्वीकार कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र में सही जानकारी दी है।

9. आवेदन शुल्क :

9.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए)।

9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

9.3 **शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से, नामत: भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के जरिए या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।**

9.4 अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से **17.10.2025 (23:00 बजे)** तक कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से शुल्क भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

9.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क भुगतान पूरा हो गया है। यदि एसएससी को शुल्क प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति **'Incomplete'** दिखाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा, अभ्यर्थी अपनी लॉगिन स्क्रीन पर दिए गए 'Payment Status' लिंक पर शुल्क भुगतान की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। ऐसे आवेदन जो शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह

जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और परीक्षा सूचना में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों और शुल्क भुगतान पर विचार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.6 एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9.7 भुगतान लेनदेन से संबंधित कोई भी मुद्दा/चिंता फीडबैक तंत्र के माध्यम से अभ्यर्थी के पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है।

10. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [दिनांक 24.10.2025 से दिनांक 26.10.2025 (23:00 बजे)] :

10.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन की परिमापों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 दिनों की अवधि प्रदान करेगा जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में परिवर्तन करने के बाद आवेदन पुन: जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

10.2 किसी भी अभ्यर्थी को **'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो'** के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए **दो बार** अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में किसी और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

10.4 नवीनतम संशोधित किए गए ऑनलाइन आवेदनपत्र को वैध माना जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा पहले जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन (आवेदनों) को निरस्त कर दिया जाएगा।

10.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

10.6 यदि कर्मचारी चयन आयोग को लागू संशोधन / आशोधन राशि प्राप्त नहीं होती है तो आवेदनपत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाई जाती है और यह सूचना आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होती है। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदन वैध रहेंगे।

10.7 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, या रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

10.8 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। **'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त हाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** इस संबंध में में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

11. परीक्षा केंद्र :

11.1 कर्मचारी चयन आयोग के नौ (09) क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित परीक्षा केन्द्रों (संभावित) का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य / संघराज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते / वेबसाइट
1	**2**	**3**	**4**
1	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), गया (3203)।	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)** / बिहार और उत्तर प्रदेश	**क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज - 211001 (http://www.ssc-cr.org)
2	श्री विजया पुरम (4802), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर गंजम (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), कल्याणी (4419), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), कोलकाता/हावड़ा (4410), सिलीगुड़ी (4415), बर्दवान (4422), दुर्गापुर (4426), सूरी (4416), ढेंकनाल (4611)	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/** अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उडीसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	**क्षेत्रीय कार्यालय (पू.क्षे.)** कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल) , 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)

3	बेलागवी (9002), बेंगलुरु (9001), हुबली (9011), कालाबुरागी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), त्रिशूर (9212), कन्नूर (9202), कावारत्ती (9401)	**कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)/** लक्ष्यद्वीप, कर्नाटक तथा केरल	**क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे),** कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरू, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014) सागर (6015), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग भिलाई (6205)	**मध्य प्रदेश क्षेत्र (म.प्र.क्षे)** / छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	**उप निदेशक (म.प्र.क्षे),** कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
5	ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), इंफाल (5501), चुराचांदपुर (5502), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)।	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)**/ अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा	**क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, लास्ट गेट, बेलाटोला, बशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), सीकर (2411), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हलद्वानी (2003), रूड़की (2006)।	**उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) /** दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	**क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक-12, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 (www.sscnr.net.in)

7	चंडीगढ़ (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह (1005), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) (1007), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403), लुधियाना (1405)।	**पश्चिमोत्तर क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.)** / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लदाख और पंजाब	**क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो. क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, केन्द्रीय सदन, सेक्टर -9, चंडीगढ़ 160009 (www.sscnwr.org)
8	गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), एलुरु (8016), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), वेल्लोर (8208), हैदराबाद/सिकंदराबाद (8601), वारंगल (8603), ओंगोल (8014), सिद्दीपेट (8605), थूथुकुडी (8207), करूर (8210)।	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	**क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	पणजी (7801), अहमदाबाद/गांधीनगर (7001), आनंद (7011), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), छत्रपति संभाजी नगर (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)।	**पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)** / दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	**क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400020 (www.sscwr.net)

11.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी को प्राथमिकता क्रम में तीन केंद्रों (देश में कहीं भी) को चुनने का विकल्प होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में केंद्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उन्हें सही ढंग से दर्शाना चाहिए।

11.3 आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र में समायोजित करने का प्रयास करेगा। हालाँकि, आयोग ऊपर **पैरा 11.1** में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र जोड़ने या उपरोक्त सूची में से किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग किसी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. परीक्षा की रूपरेखा:

12.1 परीक्षा में पेपर- I, शारीरिक मानक परीक्षा (शा.मा.प.) / शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.), पेपर- II और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (वि.चि.प.) शामिल होंगे। परीक्षा के ये सभी चरण अनिवार्य हैं। इन पेपरों / परीक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:

पेपर - I:

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
I	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति	50	50	2 घंटे **(प्रत्येक भाग के लिए 30 मिनट के सेक्शनल टाइमर के साथ)**
II	सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी	50	50	
III	परिमाणात्मक अभिरुचि	50	50	
IV	अंग्रेजी परिज्ञान	50	50	

पेपर II:

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान	200	200	3 घंटे **(विज्ञप्ति का पैरा 12.8.2 देखें)**

12.2 दोनों पेपर में प्रश्न बहु विकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पेपर- I के भाग- I, II और III में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में दिए जाएंगे। **पेपर- I और पेपर- II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा।** इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।

12.3 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा **दिनांक 02.06.2025 के नोटिस** के अनुसार प्रकाशित प्रक्रिया का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

12.4 परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अनंतिम उत्तर कुंजियाँ उपलब्ध करा दी जाएँगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों का अवलोकन कर सकते हैं और यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रति प्रश्न **50 रुपये** का भुगतान करके प्रस्तुत कर सकते हैं, जो वापस नहीं होगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन, जैसे पत्र, आवेदन, ईमेल आदि, पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजियों से संबंधित अभ्यावेदन की, उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले, विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम उत्तर कुंजियों का उपयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम को तैयार करने के लिए किया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

12.5 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) प्रमाणपत्र (**आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को**) धारकों को पेपर-1 और पेपर-II में बोनस अंक दिए जाएंगे, जिन्हें निम्नलिखित योजना के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी के सामान्यीकृत अंकों में जोड़ा जाएगा :

क्रम सं	एनसीसी प्रमाणपत्र का प्रकार	प्रत्येक पेपर में बोनस अंक (पेपर-I और पेपर-II)
1	एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	10 अंक (अधिकतम अंको का 5%)
2	एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	6 अंक (अधिकतम अंकों का 3%)
3	एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	4 अंक (अधिकतम अंक का 2%)

12.6 विज्ञप्ति में दी गई परीक्षाओं की तारीखें अनंतिम हैं। परीक्षा-कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा ।

12.7 अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुन: जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया किया जाएगा ।

12.8 <u>**कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम**</u> **:**

12.8.1 <u>**पेपर - I**</u>

12.8.1.1 <u>**सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति**</u>**:** इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न शामिल होंगें । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, विवेक आधारित अनुमान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, पर्यवेक्षण, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रंखला, गैर शाब्दिक श्रंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायसंगत तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शमिल होंगे। इसमें विषय हैं : निरूपण सादृश्यता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आकृति संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, निरूपण श्रंखला, अंक श्रंखला, आंकड़े संबंधी श्रंखला, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंच्ड होल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अंकीय पैटर्न फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केंद्र कोड/अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/अंक कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण, अंतस्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता आदि।

12.8.1.2 **<u>सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता</u> :** इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के पर्यवेक्षण संबंधी मामलों के उनके ज्ञान एवं वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती हैं। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यदि से संबंधित प्रश्न भी शमिल होंगे।

12.8.1.3 **<u>परिमाणात्मक अभिरूचि</u>:** इसमें प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्नों और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज समकोणीय पिरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक पहचान, पूरक कोण, ऊँचाई और दूरियाँ, हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, बार आरेख और पाई चार्ट आदि से संबंधित प्रश्न होंगे।

12.8.1.4 **<u>अंग्रेजी परिज्ञान</u>:** इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उनकी लेखन की योग्यता और परिज्ञान की जांच की जाएगी।

12.8.2 **<u>पेपर-II:</u>**

12.8.2.1 **<u>अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान</u> : पेपर चार भागों में विभाजित होगा और प्रत्येक भाग के लिए 30 मिनट का सेक्शनल टाइमर होगा।** इन घटकों में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जांच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति (क्रिया, पूर्वसर्ग, आर्टिकल्स आदि का प्रयोग करके), शब्द कोश, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य पूर्णता, वाक्यांश और शब्दों का उक्ति रूप में और मुहावरेदार प्रयोग, बोधगम्यता आदि से संबंधित होंगे।

12.9 **<u>शारीरिक मानक परीक्षण (शा.मा.प.) और शारीरिक क्षमता परीक्षण (शा.क्ष.प.)</u> :**

12.9.1 **<u>शारीरिक मानक परीक्षण (सभी पदों के लिए) :</u>**

12.9.1.1 **<u>दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के लिए ऊंचाई मानदंड</u>–**

क्रम सं.	अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊंचाई (सेमी में)	सीना (सेमी में)	
			बिना फुलाए	फुलाकर
(i)	क्रम सं. (ii) और (iii) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर पुरुष अभ्यर्थी	170	80	85
(ii)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीर घाटी, जम्मू	165	80	85

	और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों , पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित पुरुष अभ्यर्थी।			
(iii)	अनुसूचित जनजाति के सभी पुरुष अभ्यर्थी	162.5	77	82
(iv)	क्रम सं. (v) और (vi) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर महिला अभ्यर्थी	157	--	--
(v)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित महिला अभ्यर्थी।	155	--	--
(vi)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी महिला अभ्यर्थी	154	--	--

12.9.1.2 <u>के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक के लिए ऊंचाई मानदंड</u>:

क्रम सं.	**अभ्यर्थियों की श्रेणी**	**ऊंचाई (सेमी में)**	**सीना** (सेमी में)	
			बिना फुलाए	फुलाकर
(i)	क्रम सं. (ii), (iii),(iv) और (v) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर पुरुष अभ्यर्थी	170	80	85
(ii)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों , पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित पुरूष अभ्यर्थी।	165	80	85
(iii)	गोरखा पुरूष अभ्यर्थी	157	80	85
(iv)	क्रम संख्या (v) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थी	162.5	77	82
(v)	पूर्वोत्तर राज्यों की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पुरुष अभ्यर्थी	157	77	82
(vi)	क्रम संख्या (vii) और (viii) में सूचीबद्ध को छोड़कर महिला अभ्यर्थी	157	–	–
(vii)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित महिला अभ्यर्थी।	155	–	–
(viii)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी महिला अभ्यर्थी	154	–	–

12.9.2 <u>वजन</u> : ऊंचाई के अनुरूप (सभी पदों के लिए)।

12.9.3 <u>शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.) (सभी पदों के लिए)</u> :

12.9.3.1 <u>पुरुष अभ्यर्थियों के लिए:</u>

12.9.3.1.1 16 सेकंड में 100 मीटर की दौड़

12.9.3.1.2 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़

12.9.3.1.3 लंबी कूद :3 बार में 3.65 मीटर

12.9.3.1.4 ऊंची कूद :3 बार में 1.2 मीटर

12.9.3.1.5 शॉट पुट (16 पांउड): 3 बार में 4.5 मीटर

12.9.3.2 <u>महिला अभ्यर्थियों के लिए :</u>

12.9.3.2.1 18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़

12.9.3.2.2 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़

12.9.3.2.3 लंबी कूद: 3 बार में 2.7 मीटर

12.9.3.2.4 ऊंची कूद :3 बार में 0.9 मीटर

12.9.4 महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं होगी ।

12.9.5 यथा-उल्लिखित ऊंचाई और सीने की माप में छूट (जैसा भी मामला हो), केवल उस जिले के सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र **<u>अनुबंध- VIII</u>** में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत करने पर ही अनुमत होगा, जंहा वे सामान्य रहते हैं।

12.9.6 दिल्ली पुलिस के लिए प्रारंभिक नियुक्ति के समय शारीरिक मानकों (ऊंचाई /सीना) में एक बार दी गए छूट तब तक वैध रहेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति विशेष दिल्ली पुलिस में रहता है।

12.9.7 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात ऊंचाई और सीने की माप में योग्य घोषित नहीं किया गया है, यदि चाहें तो वे यदि शा.मा.प./शा.क्ष.प. स्थल पर उपस्थित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं । अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई और अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.9.8 शा.मा.प./शा.क्ष.प. के लिए कोई अंक नहीं लेगा, परन्तु यह अर्हक / छंटनी प्रकृति की होगा।

12.9.9 इन पदों के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को शा.क्ष.प. से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। तथापि सभी भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और इन निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा। उन्हें सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को भी पास करना चाहिए।

12.9.10 शा.मा.प. (शारीरिक मानक परीक्षा) / शा.क्ष.प. (शारीरिक क्षमता परीक्षा) के लिए महिला अभ्यर्थियों द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर, उनकी गर्भावस्था की स्थिति की सूचना देने के बारे उन्हें स्व-घोषणा करनी होगी । यदि वह घोषणा करती है कि वह गर्भवती नहीं है तो उसे शा.मा.प. / शा.क्ष.प में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। झूठी घोषणा के मामले में, शा.मा.प. / शा.क्ष.प. से गुजरने के सभी जोखिम उसके स्वयं के होंगे। यदि महिला अभ्यर्थी घोषणा करती है कि वह शा.मा.प. / शा.क्ष.प से पहले गर्भवती है, तो गर्भावस्था की पुष्टि करने के लिए परीक्षण किया जाएगा और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, तो गर्भावस्था की अवधि के बावजूद, उसे अस्थायी रूप से अनफ़िट घोषित किया जा सकता है और उसकी नियुक्ति पर तब तक रोककर रखी जाएगी जब तक कि गर्भावस्था का समापन न हो जाए। जिस रिक्ति के लिए महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया था, उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन, प्रसव की तारीख के छह सप्ताह बाद शा.मा.प. / शा.क्ष.प के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी। यदि वह शा.मा.प. / शा.क्ष.प और वि.चि.प. में फिट पाई जाती है, तो उसे, उसके लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता के लाभ हेतु अनुमति दी

जा सकती है। यदि कोई महिला अभ्यर्थी गर्भावस्था में नहीं पाई जाती है, तो शा.मा.प. / शा.क्ष.प में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

12.10 चिकित्सा मानक (सभी पदों के लिए) :

12.11.1 **चिकित्सा परीक्षा:** वे सभी अभ्यर्थी जो पेपर- II में अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी चिकित्सा जांच के.स.पु.ब. के चिकित्सा अधिकारी या केंद्र / राज्य सरकार के अस्पताल या औषधालय के किसी अन्य ग्रेड-I चिकित्सा अधिकारी या सहायक सर्जन द्वारा की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (वि.चि.प.) के दौरान अनफ़िट पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (स.चि.प.) वि.चि.प. के साथ-साथ अधिमानतः वि.चि.प. के अगले दिन आयोजित की जाएगी। पुनर्चिकित्सा बोर्ड / समीक्षा चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और पुनर्चिकित्सा बोर्ड / समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के खिलाफ कोई अपील / अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.10.2 **नेत्र दृष्टि :** निकट दृष्टि न्यूनतम एन6 (बेहतर दृष्टि वाला नेत्र) और एन9 (कम दृष्टि वाला नेत्र) होनी चाहिए। किसी भी सुधार, जैसे - दृश्य तीक्ष्णता में सुधार के लिए चश्मे का प्रयोग या किसी भी तरह की सर्जरी के बिना दोनों आँखों की न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 (बेहतर दृष्टि) और 6/9 (अपेक्षाकृत कम दृष्टि) होनी चाहिए। दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में दाईं आंख की बेहतर दृष्टि होती है और बांए हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के लिए बांई आंख दृष्टि बेहतर होती है।

12.10.3 अभ्यर्थी के भीतर की ओर मुड़े घुटने, सपाट पैर, वैरिकोज़ नस या भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी रंग विभेद दृष्टि उच्च कोटि की होनी चाहिए।

12.10.4 उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्य के प्रभावी निष्पादन में बाधा होने की संभावना हो।

12.11 उप-निरीक्षक के पदों के लिए अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में, नीचे वर्णित सात बाधाओं को पास करना होगा, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बल में नहीं रखा जा सकता है :

12.11.1 उर्ध्वाधर बोर्ड के ऊपर से कूदना ।
12.11.2 बोर्ड से कूदते हुए रस्सी पकड़ना ।
12.11.3 टार्ज़न स्विंग।
12.11.4 क्षैतिज बोर्ड पर कूदना ।
12.11.5 समानांतर रस्सी।
12.11.6 बंदर की तरह सरकना (मंकी क्रॉल)
12.11.7 उर्ध्वाधर रस्सी।

12.12 **टैटू:** टैटू की अनुमति केवल निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दी जाएगी:

12.12.1 **सामग्री:** धार्मिक प्रतीक या चित्र और नाम का चित्रण करने वाले टैटू, जैसा कि भारतीय सेना में अनुपालन किया जाता है, अनुमत्य है ।

12.12.2 **स्थान:** शरीर के पारंपरिक अंगों पर बने टैटू अनुमत्य हैं, जैसे- बाजू के अग्र भाग पर भीतरी ओर, परन्तु केवल बांयी बाजू पर, क्योंकि इससे सैल्यूट नहीं दिया जाता और यह हाथ का पृष्ठ भाग है।

12.12.3 **आकार:** शरीर के उस विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के ¼ भाग से कम होना चाहिए।

13. परीक्षा में प्रवेश:

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधरित परीक्षा (पेपर-I) में बैठने हेतु रोल नंबर और प्रवेश-पत्र (एसी) दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दिए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

13.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, आदि की आवश्यकताओं के बारे में अवश्य पढ़े और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। के.स.पु.ब. द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता, जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि प्राधिकारी (यों) द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

13.3 परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाईन जारी किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से एसएससी मुख्यालय (https://ssc.gov.in) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट देखते रहें।

13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग 10 दिन पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। **यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।** ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे से वंचित हो जाएगा।

13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.6 प्रवेश-पत्र डाऊनलोड करने की सुविधा परीक्षा से लगभग 2-3 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। **अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में अवश्य लाना होगा।**

13.7 जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें परीक्षा शुरू होने से **दो (02) घंटे** पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही के रंगीन फोटोग्राफ, प्रवेश प्रमाण पत्र पर छपी जन्मतिथि वाला मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जैसे:-

13.7.1 मतदाता पहचान-पत्र
13.7.2 ड्राइविंग लाइसेंस
13.7.3 पैन कार्ड
13.7.4 पासपोर्ट
13.7.5 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र
13.7.6 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)
13.7.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा मुक्ति पंजिका
13.7.8 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

13.8 यदि फोटो पहचान–पत्र में जन्मतिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र से संबन्धित एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र (अर्थात सीबीएससी / आईईसीएसई / राज्य बोर्ड द्वारा जारी मेट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, अंक पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी संबंधी प्रमाणपत्र) मूल रूप में लाना होगा। प्रवेशपत्र में अंकित जन्म तिथि और जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर लाये गए फोटो प्रमाणपत्र / प्रमाणपत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

13.9 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेशपत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ भी अपने साथ ला सकता है।

14. <u>पद वरीयता:</u>

14.1 दिल्ली पुलिस और के.स.पु.ब. (एमएचए) में उप–निरीक्षक के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले, अभ्यर्थियों से या तो आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के माध्यम से या पीईटी/ पीएसटी/ डीएमई/ आरएमई/ डीवी के समय संबंधित संगठन द्वारा भौतिक रूप से पद (पदों) और संगठन (संगठनों) के लिए वरीयता ली जाएगी।

14.2 उम्मीदवारों को अपने वरीयता क्रम में उन पद (पदों) /बल (बलों) की वरीयता बतानी होगी जिनके लिए वे विचार किए जाना चाहते हैं। विभिन्न पदों/बलों का विवरण उनके संबंधित कोड के साथ इस प्रकार है:

14.2.1 दिल्ली पुलिस में उप–निरीक्षक (ए)

14.2.2 सीमा सुरक्षा बल में उप–निरीक्षक (बी)

14.2.3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप–निरीक्षक (सी)

14.2.4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप–निरीक्षक (डी)

14.2.5 भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में उप–निरीक्षक (ई)

14.2.6 सशस्त्र सीमा बल में उप–निरीक्षक (एफ)

14.3 अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता अंतिम और अपरिवर्तनीय मानी जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा पद/बल में परिवर्तन के लिए बाद में किया गया अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने किसी पद/बल का विकल्प नहीं चुना है, तो उसकी योग्यता के आधार पर विचार किए बिना, ऐसे पद पर चयन के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को पद–वरीयताएँ देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

14.4 जो अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पद–वरीयताएँ प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अंतिम परिणाम में किसी भी पद के लिए विचारित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पद और संगठन के लिए अपनी वरीयता चुनने का कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा और इसके लिए वे स्वयं पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, व्यतिगत आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग विचार नहीं करेगा और उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

15. <u>दस्तावेज सत्यापन</u> :

15.1 अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले, अधिमानतः डीएमई/आरएमई चरण के साथ, के.स.पु.ब. द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा।

15.2 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने पर दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा, जैसा कि ऊपर **पैरा 13.7** में सूचीबद्ध है।

15.3 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय नीचे दिए गए विभिन्न दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ-साथ उनकी प्रतियां भी लानी होंगी:

i. मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाणपत्र।

ii. शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र।

iii. दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र, जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और दिनांक के साथ) का उल्लेख हो जिसके तहत इसे आवश्यक योग्यताओं में समकक्ष खंड के संबंध में ऐसा माना गया है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है।

iv. जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है।

v. दिल्ली पुलिस को वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों के लिए मोटर साइकिल और कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (पीएसटी/पीईटी की तारीख से पहले जारी किया गया) (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लागू)।

vi. भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए:

क. **अनुबंध-IV** के अनुसार वचनबद्धता।

ख. **अनुबंध-III** के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।

ग. सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने पर सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र।

घ. **पैरा-3.3.1** में सूचीबद्ध भूतपूर्व सैनिकों की विशेष श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को इसके समर्थन में प्रमाण-पत्र/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि आयु में कोई छूट चाह रहे हों तो संबंधित प्रमाण पत्र।

viii. दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा **अनुबंध-IX** के अनुसार प्रमाण पत्र।

ix. यदि पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हों तो अनापत्ति प्रमाण पत्र।

x. जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह, पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

क. महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति/पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या पति-पत्नी का शपथ पत्र, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ;

ख. महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: पहले पति/पत्नी के संबंध में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति/पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या पति-पत्नी का शपथ पत्र, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ।

ग. महिलाओं के तलाक के मामले में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लिया गया तलाक डिक्री और डीड पोल/शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति।

घ. अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए नाम परिवर्तन के लिए: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लिया गया डीड पोल/शपथ पत्र और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

xi. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।

xii. **यह दोहराया जाता है कि ईक्यू आदि के प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा दस्तावेज़ सत्यापन के समय या किसी भी स्तर पर प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों द्वारा पुष्ट नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**

16 <u>चयन का तरीका</u> :

16.1 सभी अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय तक इस परीक्षा विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में स्वयं को पंजीकृत कर लेंगे और जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे तथा परीक्षा नोटिस की शर्तों और नियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाएंगे, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर-I) में उपस्थित होने के लिए रोल नंबर दिए जाएंगे और प्रवेश प्रमाण पत्र (एसी) जारी किए जाएंगे।।

16.2 पेपर-I और पेपर-II में न्यूनतम अर्हक अंक (एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक को बोनस अंक जोड़े बिना) निम्नानुसार हैं:-

16.2.1	अना.	:	30%
16.2.2	अ.पि.व./आ.क.व.	:	25%
16.2.3	अन्य सभी वर्ग	:	20%

16.3 अभ्यर्थी के पेपर-I (एनसीसी प्रमाण-पत्र के मामले में बोनस अंकों को जोड़कर) में उनके प्रदर्शन के आधार शा.क्ष.प./शा.मा.प. परीक्षा में भाग लेने के लिए शार्टलिस्ट किए जाएंगे। आयोग को अन्य के साथ-साथ श्रेणीवार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणीवार संख्या का ध्यान रखते हुए प्रश्नपत्र-। के प्रत्येक भाग में विभिन्न न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार होगा।

16.4 शा.क्ष.प./शा.मा.प. अनिवार्य हैं लेकिन अर्हक प्रकार के हैं। भूतपूर्व सैनिकों को शा.क्ष.प. देने की आवश्यकता नहीं हैं।

16.5 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-।। परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने शा.क्ष.प./शा.मा.प. परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है।

16.6 अभ्यर्थियों को पेपर-I और पेपर-II (एनसीसी प्रमाण-पत्र के मामलों में बोनस अंकों सहित) में उनके प्रदर्शन के आधार पर चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।

16.7 चिकित्सा परीक्षा अर्थात डीएमई/आरएमई चरण अनिवार्य है, लेकिन यह अर्हक प्रकृति का है। डीएमई/आरएमई चरण और दस्तावेज़ सत्यापन चरण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम चयन के लिए विचार किया जाएगा।

16.8 पद/बल का अंतिम चयन और आवंटन पेपर-I और पेपर-II (एनसीसी प्रमाण पत्र के मामले में बोनस अंक सहित) में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और उनके द्वारा प्रयोग किए गए पदों/बलों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

16.9 अभ्यर्थी को उनके मेरिट के अनुसार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके लिए अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों / बल की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है।

16.10 विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, और सहायक उप-निरीक्षक में से, दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक की सीधी भर्ती दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती), नियम 1980 (वर्ष, 2013 और 2018 में संशोधित) के नियम-7 और 27-ए तथा स्थायी आदेश संख्या 321/2013 के अनुसार की जाएगी। **केवल उन अभ्यर्थियों को "दिल्ली पुलिस का विभागीय अभ्यर्थी" माना जाएगा जो अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में ऐसी स्थिति को दर्शाएंगे।** ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा

करने और 'आवेदन पत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, आवेदन पत्र में जो दर्शाया गया है, उसकी स्थिति में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

16.11 दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी) -पुरुष के पद के लिए अभ्यर्थियों के चयन के समय, दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों को पहले दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 2018 के नियम 27 ए के अनुसार आयु में छूट देकर खुली रिक्तियों के लिए और उसके बाद दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 2013 के नियम -7 के अनुसार विभागीय रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।

16.12 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक परीक्षा, 2025 की सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर-I एवं पेपर-II), शा.क्ष.प./शा.मा.प., चिकित्सा परीक्षा में शामिल होंगे। तथापि, अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात, दिल्ली पुलिस द्वारा विभागीय रिक्तियों के लिए अंतिम परिणाम कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा ।

16.13 अजा, अजजा, अपिव, आकव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र मेरिट स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार पद की अनारक्षित रिक्तियों में, जो उनके लिए लाभप्रद हो, में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आकव और भूतपूर्व सैनिक. श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

16.14 अजा, अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे योग्यता सूची में उनका स्थान कुछ भी हो, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं माना जाएगा ।

16.15 यथावश्यक जांच के पश्चात सरकार जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

16.16 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्ते पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, निर्धारित पात्रता शर्ते पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

16.17 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, तो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इन पदों पर स्थायी किए जाने हेतु पुष्टि की जाएगी।

16.18 यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त घोषित नहीं किया जाता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।

16.19 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।

16.20 सभी पद (दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक को छोडकर) अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

16.21 पदों का अंतिम आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों/विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर किया जाता है और पद आवंटित होने के बाद, शारीरिक / चिकित्सा / शैक्षिक मानकों की किसी पद संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद के लिए उच्च वरीयता दी है और उसे उस पद के लिए चुना गया है; उस स्थिति में, यदि वह उस पद के लिए चिकित्सा/ शारीरिक/ शैक्षणिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसके लिए किसी अन्य वरीयता हेतु विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

16.22 कर्मचारी चयन आयोग उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार कार्मिकों की भर्ती करता है। किसी उपयोगकर्ता विभाग/संगठन में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों (उर्ध्वाधर और क्षैतिज), बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत रिक्तियों के पृथक्करण और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर उपयोगकर्ता विभागों/संगठनों को भेज दिए जाते हैं। उपयोगकर्ता विभाग/संगठन अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद भेजे गए डोजियर को स्वीकार करेंगे। कोई भी उपयोगकर्ता विभाग/संगठन क्षैतिज रिक्तियों की अनुपलब्धता के आधार पर या इस आधार पर कि कोई क्षैतिज रिक्ति मौजूद है लेकिन आयोग द्वारा उस श्रेणी का डोजियर उपलब्ध नहीं कराया गया है, चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर वापस नहीं करेगा।

16.23 कर्मचारी चयन आयोग अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले उपयोगकर्ता विभागों/संगठनों से रिक्तियों की पुष्टि करता है। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद, केवल ऐसी ही पुष्टि की गई रिक्तियों के लिए नामांकन/सिफारिशें की जाती हैं। इसलिए, उपयोगकर्ता विभाग/संगठन किए गए नामांकन और उन्हें भेजे गए डोजियर स्वीकार करेंगे। यदि किसी विभाग/संगठन का समापन, पुनर्गठन या किसी अन्य विभाग/मंत्रालय/संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरण किया जाता है, तो उसका उत्तराधिकारी/प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय डोजियर स्वीकार करेगा। यदि मंत्रालय स्तर तक संगठनों का संपूर्ण पदानुक्रम समाप्त हो जाता है, तो जिस मंत्रालय/विभाग को उसका कार्य स्थानांतरित किया गया है, वह डोजियर स्वीकार करेगा। यदि संगठन/विभाग का कार्य किसी अन्य विभाग/मंत्रालय को स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो वह विभाग/मंत्रालय जिसका कार्य पूर्व के कार्य से निकटता से संबंधित है, डोजियर स्वीकार करेगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

16.24 यह पुनः दोहराया जाता है कि आयोग द्वारा परिणाम केवल एक बार घोषित किया जाएगा और उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने, या किसी अन्य कारण से रिक्तियों के रिक्त रह जाने की स्थिति में, किसी भी अभ्यर्थी का आगे नामांकन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, मंत्रालय/विभाग/संगठन मौजूदा नियमों के अनुसार रिक्तियों को अगले रिक्ति वर्ष में आगे बढ़ाने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकता है।

17. बराबरी के मामलों का निपटारा:

17.1 उन मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी प्रश्नपत्र –I + प्रश्नपत्र–II में एक समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगाः–

i. प्रश्नपत्र –।। में कुल अंकों को देखकर।

ii. जन्म–तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखकर।

iii. वर्णानुक्रम मे अभ्यर्थियों का नाम देखकर।

18. **कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:**

18.1 आयोग परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परीक्षा–पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जाँच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें रोकना भी शामिल है।

18.2 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी स्तर पर निम्नलिखित में किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते है तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगाः

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा के आयोजन के दौरान परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री जैसे– रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटे लेकर बाहर जाना या इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	01–02 वर्ष
2	निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पहले परीक्षा स्थल छोड़ना	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना–धमकाना।	02–03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पंहुचाना / अन्य अभ्यर्थियों को पीक्षा न देने के लिए उकसाना	03 वर्ष
5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	01–03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन/प्रभाव प्राप्त करना।	03 वर्ष
7	परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस डिवाइस, जासूसी कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना	03–05 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	02–05 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	03 वर्ष

10	जानबूझकर परीक्षा से संबंधित अवसंरचनाओं/ उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	01-03 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा में शामिल होना या प्रयास करना।	03-05 वर्ष
12	किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र/हथियार रखना या परीक्षा कर्मियों को हथियार/आग्नेयास्त्र से धमकाना/डराना या हमला करना, पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या आयोग के प्रतिनिधियों आदि जैसे परीक्षा कर्मियों पर किसी भी प्रकार से बल प्रयोग करना, शारीरिक क्षति पहुंचाना।	07 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे -कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	07 वर्ष
14	छद्मवेषण / किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना	07 वर्ष
15	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	07 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लेन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल को साझा करना। परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	07 वर्ष
18	अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग भर्तियों में एक ही फोटोग्राफ के साथ आवेदन करना, जिसमें अलग-अलग व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि आदि शामिल हों, या इसके विपरीत।	01-05 वर्ष

18.3 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19 <u>आयोग का निर्णय अंतिम:</u> पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए शास्ति, चयन का तरीका, परीक्षा (परीक्षाओं) का संचालन, परीक्षा केंद्र का आवंटन, चयन और चयनित अभ्यर्थियों को पदों / संगठनों का आवंटन से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ / पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

20 बेरोजगार अभ्यर्थियों की रोजगार के अवसरों तक पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/1/2016- Estt. (B) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद, आयोग उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों के अंक और रैंकिंग, रैंकिंग के अवरोही क्रम में, अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों का निम्नलिखित विवरण अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम। (ii) पिता/पति का नाम (iii) जन्म तिथि (iv) श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम) (v) अभ्यर्थी का लिंग (vi) शैक्षिक योग्यताएं (vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक (viii) रैंकिंग जिसके आधार पर योग्यता तय की जाती है (ix) पूरा पता (x) ई-मेल पता हालांकि, अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट न करने का विकल्प होगा। तदनुसार, केवल उन अभ्यर्थियों के संबंध में अंक

और रैंकिंग, जिन्होंने या तो उपरोक्त विवरण प्रकट करने का विकल्प चुना है या कोई विकल्प नहीं चुना है, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

21. **<u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार:</u>** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय / न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्यायक्षेत्र के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / उपक्षेत्रीय कार्यालय आता है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. **<u>अनर्हता:</u>** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

23. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:**

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
(ख)	अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्मतिथि मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाणपत्र में दर्ज अनुसार ही लिखनी होगी। यदि परीक्षा स्थल में प्रवेश के समय जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि दस्तावेज़ सत्यापन के समय या किसी अन्य समय नाम और जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(ग)	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(घ)	आयोग ने वर्तमान परीक्षा में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया है। तदनुसार, सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय वन-टाइम पंजीकरण के समय आधार का उपयोग करके स्वयं को प्रमाणित करेंगे। जो अभ्यर्थी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वन-टाइम पंजीकरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:- **(i) नाम प्रमाण दस्तावेज** जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज़। **(ii) जन्म तिथि प्रमाण** जैसे जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। **(iii) पते का प्रमाण** जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित तस्वीर वाला बैंक स्टेटमेंट, किरायानामा, आयकर निर्धारण आदेश। **(iv) तस्वीर।**

	(v) लिंग का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र।
(ङ)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों मांगे जाएंगे। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो./ जाति / श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण–पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और प्रयोक्ता विभाग/आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(च)	अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव/भूपूसै वर्ग के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(छ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति **'आवेदन प्राप्त हुआ (सामग्री सत्यापित नहीं है)'** के रूप में सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(ज)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(झ)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय या आयोग के संज्ञान में आने पर उनकी उम्मीदवारी अभ्यर्थिता की जा सकती
(ञ)	निर्देशों के अनुरूप न होने पर अनुपयुक्त फोटो या धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
(ट)	आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना कोई पूर्व–विद्यमान फोटोग्राफ प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। आवेदन माड्यूल को आवेदक अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुनः खींच लें। स्वीकार्य

	नमूने के अनुरूप न होने वाले फोटो युक्त आवदेनों को अस्वीकार किया जा सकता है। परीक्षा में अभ्यर्थी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में उसका फोटो लगा है। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-IIड. में दिए गए हैं। **अपना फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लीकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा :** 1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें । 2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है । 3. अपने आप को सीधे वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें । 4. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित लाल आयताकार क्षेत्र के पूरी तरह से अंदर हो और न तो बहुत नजदीक हो और न ही बहुत दूर हो। यह क्षेत्र को पूरी तरह से ढकना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयताकार क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए। 5. अभ्यर्थियों को लाइव फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को फौरन निरस्त कर दिया जाएगा। **हालाँकि, जिन अभ्यर्थियों ने आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है, उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।**
(ठ)	आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध **(आयोग द्वारा प्रदान की गई 'आवेदन पत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद)** एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(ड)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के **पैरा-10** में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
(ढ)	सही / अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ण)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही एवं सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरें, क्योंकि आयोग द्वारा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है। बाद में मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। **यद्यपि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सूचना भेजने का प्रयास किया जाता है, परंतु आयोग**

	भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं/चरणों/तिथियों के बारे में अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई-मेल/डाक आदि के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत आयोग की वेबसाइट है और कोई भी अभ्यर्थी इस आधार पर किसी राहत का दावा नहीं कर सकता कि उसे किसी प्रक्रिया के बारे में ई-मेल/एसएमएस आदि के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी के लिए आयोग/क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
(त)	आवेदन भरने/जमा करने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई हो, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित क्षेत्रीय हेल्पलाइनों से संपर्क कर सकते हैं: i. हेल्प डेस्क (एसएससी-मुख्यालय) 1800 309 3063 (टोल फ्री) ii. एसएससी (सीआर), इलाहाबाद 0532-2406000, 9452424060 iii. एसएससी (ईआर), कोलकाता 09477461228, 033 22902230, 9477461229 iv. एसएससी (केकेआर), बेंगलुरु 080 25502520 v. एसएससी (एमपीआर), रायपुर 0771 2960440 vi. एसएससी (एनईआर), गुवाहाटी 9435052556, 9531456804 vii. एसएससी (एनआर), नई दिल्ली 011-24363343 viii. एसएससी (एनडब्ल्यूआर), चंडीगढ़ 0172 2744366 ix. एसएससी (एसआर), चेन्नई 09445195946, 044 28251139 x. एसएससी (डब्ल्यूआर), मुंबई +91 7738422705/9869730700
(थ)	जिन अभ्यर्थियों ने आधार से अपना सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय से **2 घंटे** पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, परीक्षा हॉल में कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही के रंगीन फोटोग्राफ, प्रवेश प्रमाण पत्र पर छपी पूरी जन्मतिथि वाला मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा, जैसे: (i) ड्राइविंग लाइसेंस, (ii) पैन कार्ड (iii) पासपोर्ट (iv) विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, (v) नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), (vi) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक सेवामुक्ति पुस्तिका, (vii) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र। **यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि नहीं छपी है, तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी अंकतालिका; जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र) साथ लाना होगा।** प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में विसंगति होने पर, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(द)	किसी भी गणमान्य व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/फर्जी आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(ध)	सभी पद (दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक को छोड़कर) अखिल भारतीय सेवा दायित्व (एआईएसएल) के अंतर्गत आते हैं, अर्थात चयन होने पर अभ्यर्थी को देश में कहीं भी सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(न)	उपरोक्त परीक्षा हेतु कोई प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा।
(प)	ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य ले लेना चाहिए।
(फ)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट–ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
(ब)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(भ)	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा आरक्षण के पात्र भू.पू.सै. अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
(म)	परीक्षाओं के दौरान लोगों द्वारा छद्म रूप अभ्यर्थी बनने के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि आवेदनपत्र भरते समय लाइव फोटो खींची जाती है, इसलिए परीक्षा के दौरान आवेदनपत्र में फोटो की तुलना में अभ्यर्थी अलग नहीं दिखना चाहिए। **परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के लिए अधिकृत किया गया है। अत: अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा के दिन उनका चेहरा आवेदन में लगी फोटो से मेल खाता हो।** किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। **ऐसे सभी आवेदन जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें ली गई हों, अस्वीकार कर दिए जाएँगे।**
(य)	आवेदन पत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। घोषणा पर सहमत होने/हस्ताक्षर करने से पहले, अभ्यर्थियों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत/हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी छिपाने/गलत बयानी/गलत घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(र)	अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले, अभ्यर्थियों से या तो आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के माध्यम से या पीईटी/ पीएसटी/ डीएमई/ आरएमई/ डीवी के समय संबंधित संगठन द्वारा भौतिक रूप से पद (पदों) और संगठन (संगठनों) के लिए वरीयता ली जाएगी। यदि किसी पद / संगठन के लिए किसी अभ्यर्थी ने अपनी वरीयता की सूचना नहीं दी है तो उस अभ्यर्थी के लिए उस पद / संगठन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार प्रस्तुत किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इन्हें नहीं बदला जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों के चुनने में सावधान रहना चाहिए। निर्धारित समय के भीतर अपनी पद वरीयता (वरीयताओं) को प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंतिम परिणाम में किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पद और संगठन के लिए वरीयता देने का कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और वे इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस

	संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(ल)	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तारीख, रिक्ति की स्थिति, पीईटी/ पीएसटी/ डीएमई/ आरएमई आदि के समय-सारणी से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट अर्थात, https://ssc.gov.in के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को भी नियमित रूप से देखते रहें।
(व)	आयोग ने अपनी वेबसाइट https://ssc.gov.in पर अभ्यर्थी लॉगिन के माध्यम से एक समर्पित फीडबैक पोर्टल शुरू किया है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया, जैसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भुगतान लेनदेन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आदि से संबंधित किसी भी मुद्दे/चिंता को उठाने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
(स)	जिन अभ्यर्थियों ने आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक न करें, क्योंकि परीक्षा के विभिन्न चरणों में बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)
दिनांक : 26.09.2025

अनुबंध-I

(ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के निम्नलिखित दो भाग हैं:-

I. एक बारगी पंजीकरण
II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदनपत्र भरना

भाग-I (एकबारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एकबारगी पंजीकरण प्रपत्र' और 'आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई तस्वीर और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर-आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल पर प्रवेश के लिए हाल ही में खींची गई रंगीन तस्वीरें, मूल वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. वर्तमान परीक्षा के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है। सभी अभ्यर्थियों के पास परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) के समय आधार संख्या का उपयोग करके स्वयं को प्रमाणित करने का विकल्प है। जो अभ्यर्थी आधार-आधारित प्रणाली के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

4. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज़ तैयार रखें:

क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)

ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)

ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)।

i. वोटर आईडी कार्ड

ii. पैन

iii. पासपोर्ट

iv. ड्राइविंग लाइसेंस

v. स्कूल/कॉलेज आईडी

vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/निजी)

घ) मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।

5. एक बारगी पंजीकरण के लिए, http://ssc.gov.in पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

6. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क. व्यक्तिगत विवरण

ख. पासवर्ड सृजन

ग. अतिरिक्त विवरण

घ. घोषणापत्र।

7. **'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:**

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1 : आधार संख्या। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे: -

i. नाम के प्रमाण के लिए जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज़

ii. जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र,

iii. पते के प्रमाण के लिए जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित तस्वीर वाला बैंक स्टेटमेंट, किराया समझौता, आयकर निर्धारण आदेश।

iv. तस्वीर।

v. लिंग के प्रमाण के लिए जैसे मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।

ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।

घ. क्रम संख्या-3: यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नामे में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या-3क और 3ख में करें।

ङ. क्रम संख्या-4: लिंग (महिला/ पुरुष)

च. क्रम संख्या-5 :अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।

छ. क्रम संख्या-6: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।

ज. क्रम संख्या-7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।

झ. क्रम संख्या-8-10: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम

ii. अनुक्रमांक

iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. क्रम संख्या-11: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. क्रम संख्या-12: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. क्रम संख्या-13: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।

ढ. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर आपका

डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ण. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

त. अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

<u>पासवर्ड सृजन</u>

थ. पहली बार लागिन करने पर, पूछे जाने पर अपना पासवर्ड बदलें।

द. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

ध. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'व्यक्तिगत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संशोधन कर सकते है अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'Next ' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं ।

<u>अतिरिक्त विवरण</u>

न. क्रम संख्या-1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
य. क्रम संख्या-2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

र. क्रम संख्या-3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

ल. क्रम संख्या-4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
व. क्रम संख्या-5: कृपया यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें ।
श. क्रम संख्या-6 से 7: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
ष. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें तथा 'Final Submit' से पहले, पूर्वावलोकन ओटीआर (OTR) बटन पर क्लिक करके प्रदान की गई जानकारी की समीक्षा करें।
स. मूलभूत सूचनाओं को प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है, तो आपका डेटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

8. आप अपने एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) डेटा को संपादित/संशोधित नहीं कर सकते। एकबारगी पंजीकरण में विवरण भरते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गलत/गलत जानकारी देने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है।
9. आपको पुनः चेतावनी दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण के अनुसार ही भरें। गलत/गलत जानकारी देने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

<u>अनुबंध-Iक</u>

एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

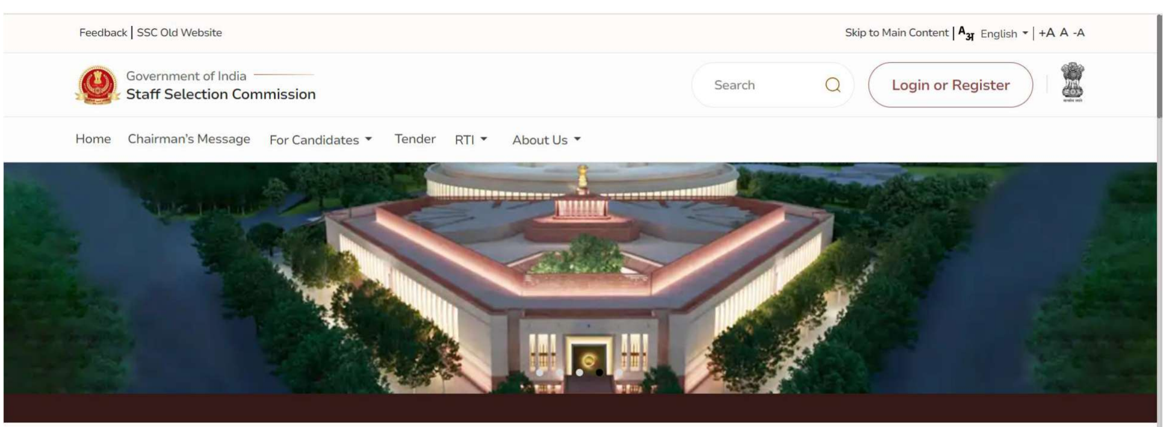

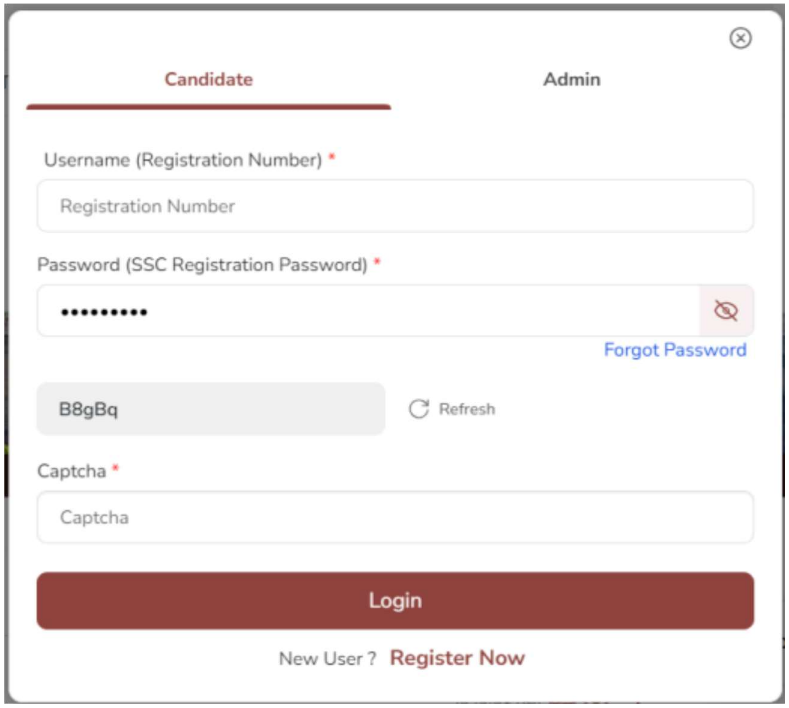
Candidate
Admin
Username (Registration Number) *
Registration Number
Password (SSC Registration Password) *
Forgot Password
B8gBq
Refresh
Captcha *
Captcha
Login
New User ? Register Now

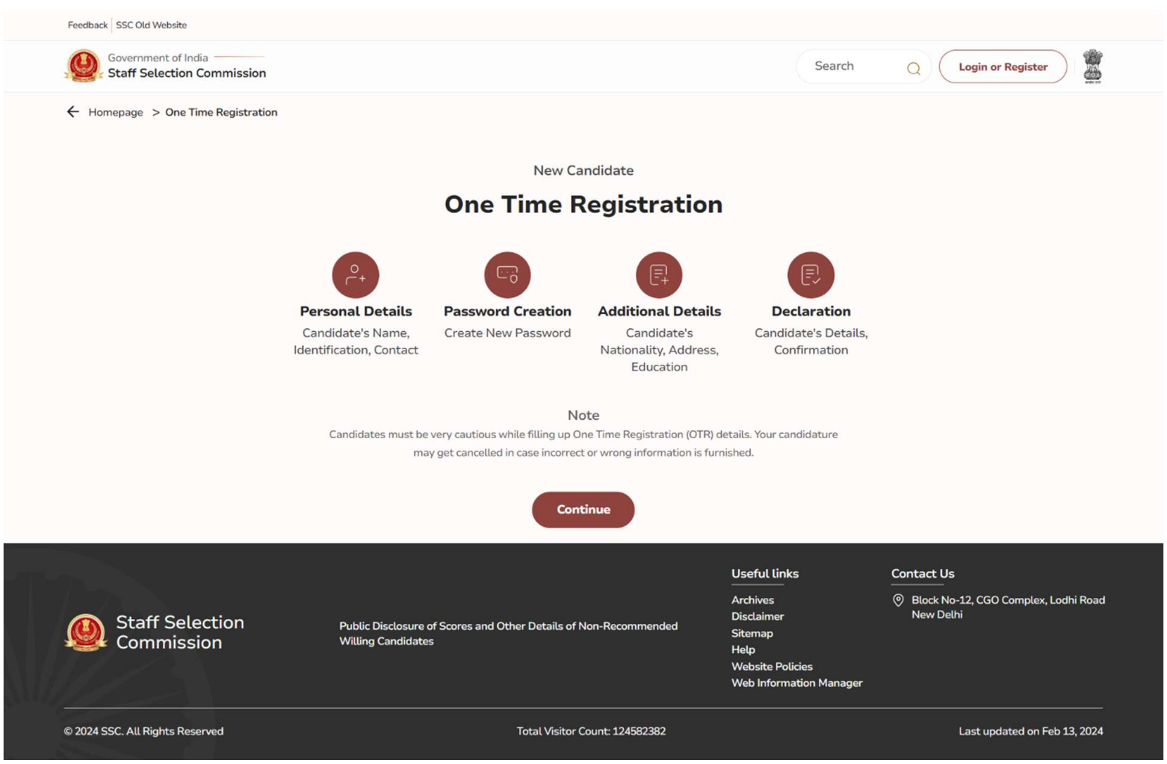
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Homepage > One Time Registration
New Candidate
One Time Registration
Personal Details
Candidate's Name, Identification, Contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's Nationality, Address, Education
Declaration
Candidate's Details, Confirmation
Note
Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *
e.g. 526262627262
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card.

a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *
eg. 526262627262

I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
- ○ Yes
- ◉ No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)

Choose File | No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)

Choose File | No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)

Choose File | No file chosen

Please Upload Photo

Choose File | No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)

Choose File | No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
- ○ Yes
- ◉ No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *

Select

a. Verify Gender *

Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *

Select

Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *

Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *

Select

a. Verify Year of Passing *

Select

11. Highest Level of Education Qualification *

Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *

Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Your Registration Number

10000000459

Note

1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.

Continue

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset | Save & Next

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

- **Personal Details** Candidate's name, identification, contact
- **Password Creation** Create New Password
- **Additional Details** Candidate's nationality, address, education
- **Declaration** Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *

EWS

a. Verify Category *

EWS

2. Nationality *

Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *

MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *

○ Yes ● No

a. Type of Disability

Note

VH : Blindness and Low vision

HH : Deaf and hard of hearing

OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy

Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *

Select

c. District *

Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *

○ Yes ● No

a. Address *

b. State/UT *

Select

c. District *

Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

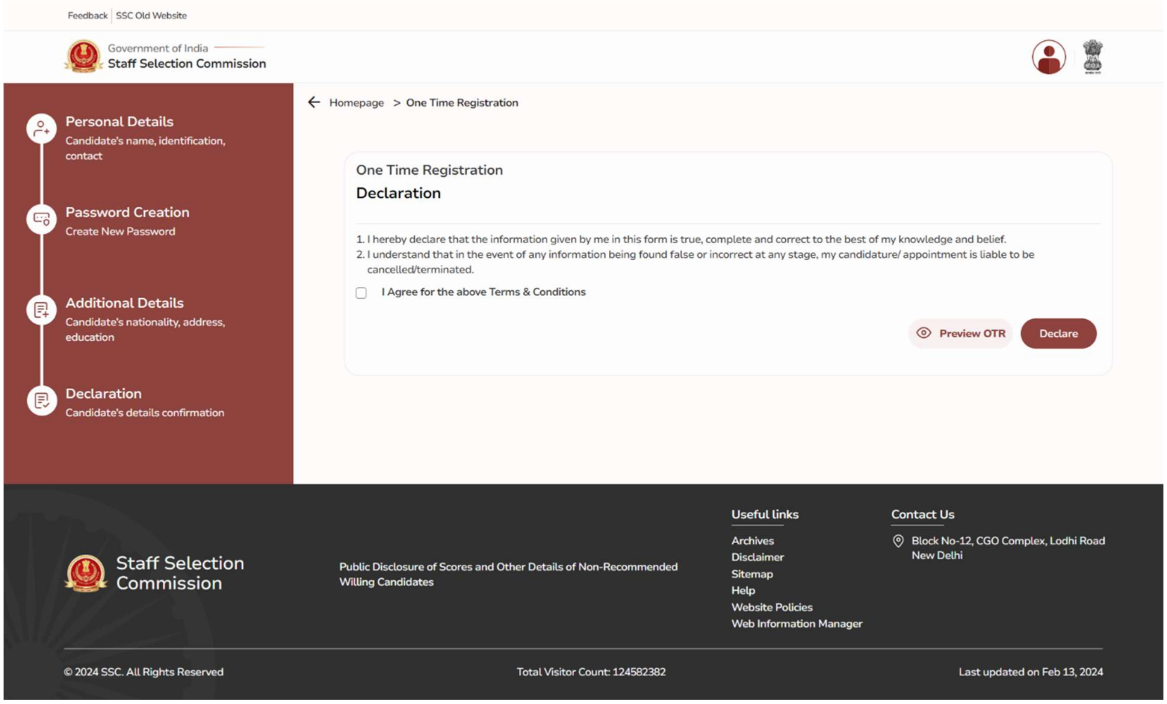
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration
Declaration

1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I Agree for the above Terms & Conditions

Preview OTR | Declare

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

अनुबंध-II

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व, निम्नलिखित तैयारी/विवरण/ डेटा तैयार रखें:

क. आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर स्पष्ट हो, बिना टोपी या चश्मे के हो, और सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। स्वीकार्य/अस्वीकार्य तस्वीरों के नमूने **अनुबंध-IIड.** में दिए गए हैं। यदि ली गई तस्वीर स्वीकार्य नमूने के अनुसार नहीं है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तस्वीर दोबारा लें। जिन आवेदन पत्रों में तस्वीरें स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवार की उपस्थिति आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लाइव तस्वीरें लेते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें: -

(i) अच्छी रोशनी और सादे बैकग्राउंड वाली जगह ढूंढें।

(ii) फ़ोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के स्तर पर हो।

(iii) कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएँ और सीधे आगे देखें।

(iv) सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर हो और न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर। यह क्षेत्र को पूरी तरह से ढकना चाहिए, और चेहरे का कोई भी हिस्सा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए।

(v) फ़ोटो खींचते समय अभ्यर्थियों को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी कैमरे से फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपलोड दस्तावेज के क्रम संख्या 1 पर दिए गए क्यूआर कोड का उपयोग करके मोबाइल उपकरणों से फ़ोटो खींचने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के लिए ऐप डाउनलोड करें। फ़ोटो बिना टोपी और चश्मे के होनी चाहिए और चेहरे का सामने का दृश्य दिखाई देना चाहिए। स्वीकार्य नमूने के अनुरूप न होने वाले फ़ोटो वाले आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। स्वीकार्य/अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-IIड.** में दिए गए हैं।

ख. स्कैन किए गए हस्ताक्षर जेपीईजी प्रारूप में (10 से 20 केबी) में होना चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

हालाँकि, आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई तस्वीर और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं।

2. अपने **'पंजीकरण संख्या'** और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत ' **'Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination 2025'** सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।

व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ

4. क्रम सं.- 1 से 18 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

शिक्षा विवरण संबंधी पृष्ठ

5. क्रम संख्या-19: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।

6. क्रम संख्या-20: शैक्षणिक योग्यता पात्रता का विवरण दें (कृपया विज्ञप्ति के **पैरा 7** का संदर्भ लें)।

अतिरिक्त विवरण-।

7. क्रम संख्या-21: क्या आप ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है और दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में तथा अन्य पदों के लिए अनारक्षित रूप में माने जाने के इच्छुक हैं (ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पद के लिए अनारक्षित माना जाएगा)। (कृपया विज्ञप्ति के **पैरा सं.-6.1** का संदर्भ लें)।

8. क्रम संख्या-22: क्या आप ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है और दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में तथा अन्य पदों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) रूप में माने जाने के इच्छुक हैं (ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पद के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग माना जाएगा)। (कृपया विज्ञप्ति के **पैरा सं.-6.1** का संदर्भ लें)।

9. क्रम संख्या-23: यदि आप सशस्त्र बलों में सेवारत है या एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है इसलिए वे 'No' का चयन करें (कृपया विज्ञप्ति के **पैरा सं.- 5.4 से 5.9** का संदर्भ लें)।

10. क्रम संख्या-24: यदि आप दिल्ली पुलिस के उप - निरीक्षक पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों के विशेष कोटा हेतु पात्र हैं तो 'Yes' का चयन करें। कृपया परीक्षा कि विज्ञप्ति के **पैरा- 3.3** का संदर्भ लें।

11. क्रम संख्या-25: यदि आप दिल्ली पुलिस के सिपाही, प्रधान सिपाही और सहायक उप-निरीक्षकों में से एक विभागीय अभ्यर्थी हैं, जिनकी सेवा न्यूनतम तीन वर्ष की है और जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं है (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 33 वर्ष और अजा/ अजजा हेतु 35 वर्ष), तो 'Yes' का चयन करें। (कृपया विज्ञप्ति के **पैरा सं.-1, 16.10 और 16.11** का संदर्भ लें)।

12. क्रम संख्या 26 - यदि आपने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो 'हाँ' चुनें। क्रम संख्या 26.1, 26.2, 26.3 और 26.4 पर प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें। खेल प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त लाभ/अंक नहीं दिए जाएँगे।

13. क्रम संख्या-27: यदि आप आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, आयु छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें (कृपया विज्ञप्ति के **पैरा सं.- 5.2** का संदर्भ लें)।

परीक्षा अनिवार्यताएं संबंधी पृष्ठ

14. क्रम संख्या-29: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए कृपया विज्ञप्ति के **पैरा सं.-11.1** का संदर्भ लें)।

15. क्रम संख्या-30: यदि आप दिनांक 01.08.2024 तक एनसीसी प्रमाणपत्र धारक हो जाएंगे तो 'Yes' का चयन करें और एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (कृपया विज्ञप्ति के **पैरा सं.-12.5** का संदर्भ लें)।

फोटोग्राफ अपलोड एवं हस्ताक्षर

16. नीचे बताए अनुसार बिना चश्मे/टोपी के अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करें:

क. अच्छी रोशनी और सादे पृष्ठभूमि वाली जगह ढूंढें।

ख. फ़ोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आपकी आँखों के स्तर पर हो।

ग. कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएँ और सीधी नज़र से देखें।

घ. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चिह्नित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर हो और न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर। इससे क्षेत्र पूरी तरह से ढका होना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए।

ड. फ़ोटो खींचते समय उम्मीदवार को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

च. किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को अपनी पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें खींची गई हों, अस्वीकार कर

दिए जाएँगे। हालाँकि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को ऐसे आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

छ. फ़ोटो खींचते समय ईयरफ़ोन या कोई भी उपकरण न पहनें।

17. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें: -

क. स्वीकार्य छवि आकार: जेपीइजी/जेपीजी प्रारूप में 10केबी से 20केबी।

ख. छवि का आकार: लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई)।

ग. धुंधले/लघु हस्ताक्षरों वाला ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालाँकि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को ऐसे आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ. हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से संरेखित होने चाहिए।

ङ. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निर्देश अनुलग्नक-IIक में दिए गए हैं।

च. स्वीकार्य और अस्वीकृत हस्ताक्षरों के नमूने अनुलग्नक-IIग में दिए गए हैं।

18. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।

19. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते है तो 'Edit / Modify' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी है तो, जानकारी का पूर्वावलोकन तथा सत्यापन करें और आवेदन जमा कर दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।

20. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

21. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड द्वारा जमा किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान के बारे में अधिक जानकारी के लिए परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 9 का संदर्भ लें।

22. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति **आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)** के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए।

अनुबंध-IIक

ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्क्रीनशार्ट

Application Form

Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination, 2025

Instructions to follow

- Read the notice of examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the application form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his / her signature in JPEG / JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with blurred/miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, MasterCard, Maestro, or RuPay, Debit card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

Fill Form >

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Post Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/08/2025:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

undefined

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

11. Visible Mark of Identification:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Education Details

19. Highest Educational Qualification: *

Select

Qualifying Educational Qualification

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Select

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7

20.1. EQ Status: *

Select

20.2. Passing Year: *

Select

20.3. State/ UT of Board: *

Select

20.4. Name of Board: *

Select

20.5. Roll Number: *

Enter roll no here...

20.6. Percentage:

Enter percentage here...

20.7. CGPA:

Enter CGPA here...

Go Back | Save & Next

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

21. Do you belong to a caste not included in Central List of OBCs but notified as OBC by the Govt of NCT of Delhi and wish to be treated as OBC for SI in Delhi Police and UR for other Posts? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.1

(●) Yes ( ) No

22. Do you belong to a caste not included in Central List of OBCs but notified as OBC by the Govt of NCT of Delhi and wish to be treated as OBC for SI in Delhi Police and EWS for other Posts? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.1

( ) Yes ( ) No

23. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *

(●) Yes ( ) No

23.1. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *

mm/dd/yyyy

23.2. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *

mm/dd/yyyy

23.3. Length of service in the Armed Forces:

23.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.4

( ) Yes ( ) No

24. Whether eligible for special quota as ESM for Delhi Police?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 3.3

(●) Yes ( ) No

25. Are you a Departmental Candidate of Delhi Police? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 1, 16.10 & 16.11

( ) Yes (●) No

Verify whether you are a Departmental Candidate of Delhi Police:

( ) Yes (●) No

26. Have you participated in any Game/ Sport at the District/ State/ National/ International Level?. *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.8

(●) Yes ( ) No

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Additional Information-II

Exam Requirement

29. Preference of Examination Centres: *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11.1

Preference 1:

Select

Preference 2:

Select

Preference 3:

Select

30. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 12.5

(•) Yes ( ) No

Verify whether you are a NCC Certificate holder:

(•) Yes ( ) No

30.1. Type of the NCC Certificate *

Select

Confirm Type of NCC Certificate:

Select

Go Back | Save & Next

© 2024 SSC. All Rights Reserved

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

Upload Photograph & Signature

To download the app from the play store, scan the below QR code

2. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- **Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

3. Upload Your Signature *

Instructions:

- **Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.** **Click here to read**
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

Go Back | Save & Next

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Instructions to Candidates for uploading of signatures

1) The major reasons for rejection of signatures are "miniature" signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.

Cut the box & Sign within the box

2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Signature

1. Good For Approval

2. Rejected

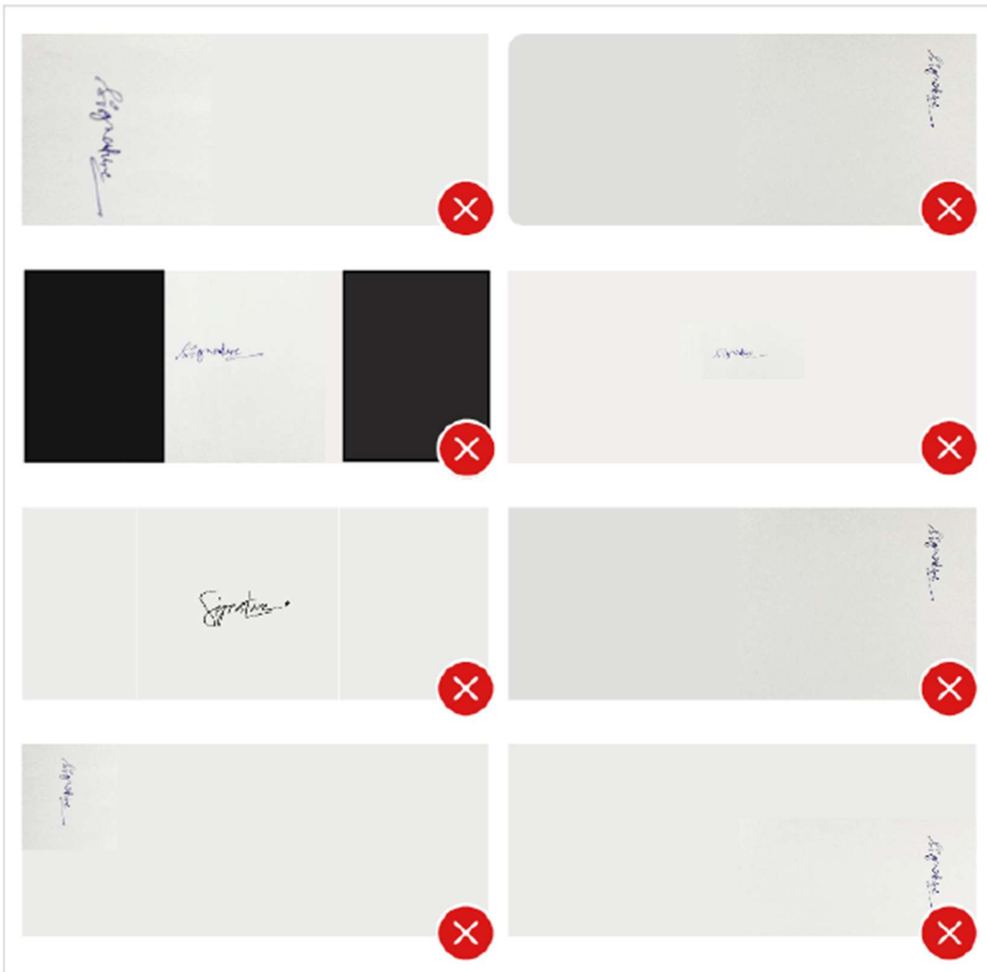

3) The major reasons for rejection photographs are :

(i) Photo without plain background.

(ii) Candidates wearing caps

(iii) Candidates taking photos without shirts.

(iv) Photo not sufficiently bright.

(v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

अनुबंध-IIड.

Photograph

1. Good For Approval

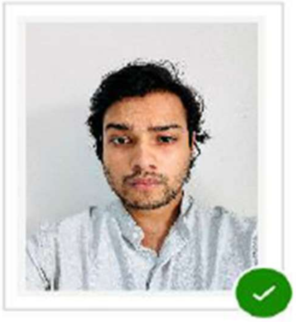

2. Rejected

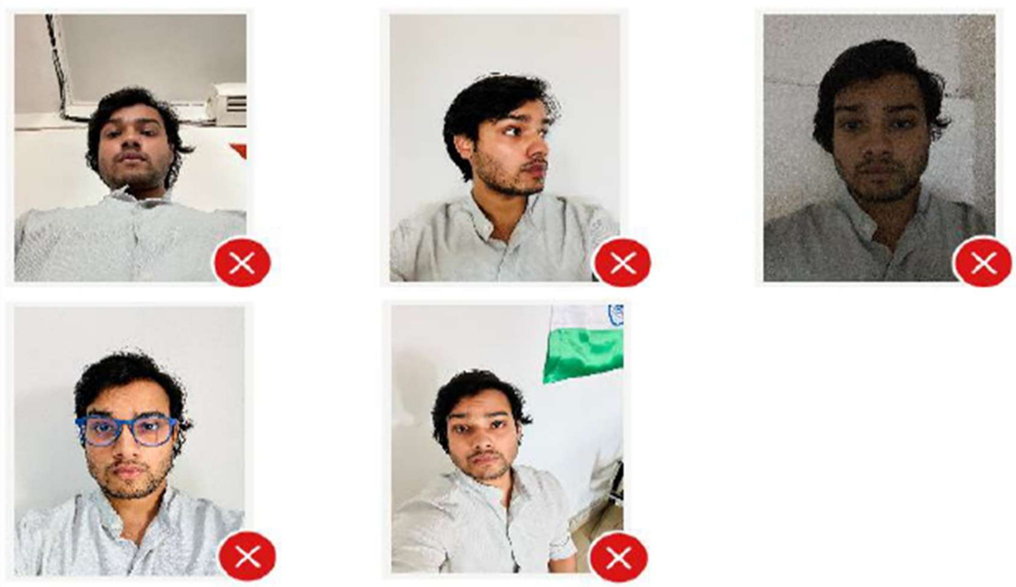

अनुबंध-III

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) ______________ (रैंक) ________________ (नाम) ___________________________ (दिनांक) _______________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः (कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

अनुबंध-IV

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं ...., अनुक्रमांक ....

परीक्षा, 20........ के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में . . . . .पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में . . . . .पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ; मैं एततद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर: ....
नाम: ....
अनुक्रमांक: . . . .
दिनांक: ....
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: ....
कार्यमुक्ति की तिथि: ....
अंतिम इकाई / कोर: ....
मोबाइल नंबर: ....
ईमेल आईडी: . . . .

<u>अनुबंध – V</u>

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रारूप में उस जिले के जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या नीचे दर्शाए गए किसी अन्य अधिकारी से प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः निवास करते हैं और जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया गया हो। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अलावा सामान्यतः निवास करता है। जहाँ भी फोटो प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है, आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल सत्यापित फोटोकॉपी ही स्वीकार करेगा, किसी अन्य सत्यापित या सत्य प्रति को नहीं।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*________________ पुत्र/पुत्री______________________ निवासी ग्राम/कस्बा* _______________ जिला/संभाग* ______________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ___________ के ___________________ अनुसूचित

जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ____________

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950____________

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ____________

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ____________

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, द्वारा यथा संशोधित

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ________

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 ________ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

संविधान (गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968

संविधान (गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* __________ के माता/पिता श्री/श्रीमती __________ निवासी __________ग्राम/कस्बा* __________ जिला/संभाग* __________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* __________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो __________ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो __________ दिनांक __________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी __________ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*__________जिला/संभाग* __________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र __________ में रहता है।

हस्ताक्षर __________

**पदनाम__________

स्थान __________

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक__________

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:यहां प्रयुक्त शब्दों का सामान्यतः वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/ +सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(+प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का न हो)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

नोट: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुबंध–VI

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _________ सुपुत्र/सुपुत्री _________

ग्राम/कस्बा _________ जिला/संभाग _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _________ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजकि न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं -------------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु० --------------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः--------------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के --------------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93–स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004–स्था.(रेस), दिनांक 9 मार्च, 2004, का.स. 36033/3/2004–स्था(रेस), दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 और का.ज्ञा.सं. 36033/3/2013–स्था.(रेस), दिनांक 27 मई 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक

मुहर

---

*– प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

**– समय समय पर यथा संशोधित

$– अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची वही है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकारप्राप्त प्राधिकारियों की सूची है।

टिप्पणी:यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध – VII

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ______________ दिनांक ____________________

वर्ष .... के लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ________________स्थायी निवासी ______________________गाँव/गली _______________ डाकघर ______________________ जिला ______________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ______________________ पिन कोड ___________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी / उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/ उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति*** नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी ____________________________ का संबंध ________________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर......................................

नाम ....

पदनाम.......................................

अभ्यर्थी अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/ पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

अनुबंध-VIII

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी_______________________________पुत्र / पुत्री श्री ______________________,गाँव___________________, तहसील / तालुका_____________________ जिला_____________राज्य_____________के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

*उपर्युक्त समस्त क्षेत्र के निवासी भारत संघ के अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई माप में छूट के लिए ________________ (गढ़वाली, कुमांऊनी, डोगरा, मराठा, सिक्किमी) माने जाते हैं।

* वह हिमाचल प्रदेश / लेह और लद्दाख / कश्मीर घाटी / पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं जिस पर भारत संघ के अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए विचार किया जाता है।

* वह अनुसूचित जनजाति के / की हैं।

हस्ताक्षर

जिला मैजिस्ट्रैट / मंडलीय मैजिस्ट्रैट / तहसीलदार

दिनांक:

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुबंध-IX

दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

(कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार, संख्या ______________________________ रैंक ______________________________ नाम _________________________ जिन्हें ___________________________ के रैंक पर _____________________________ को __________________________ में नियुक्त किया गया था, वे ____________________________________ में लगातार सेवा कर रहे हैं और तीन साल की नियमित सेवा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है। वे इस समय इस यूनिट ____________________________ (यूनिट का नाम) में तैनात हैं। सेवा के दौरान उन्हें बड़ी शास्ति____________________ और _____________________________छोटी शास्ति दी गई है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम ----------------

कार्यालय की मुहर

अनुबंध–X

क्र.सं.	खेलकूद का नाम
1.	तीरंदाजी
2.	एथलेटिक्स
3.	बैडमिंटन
4.	बास्केटबॉल
5.	बॉडी बिल्डिंग
6.	मुक्केबाज़ी
7.	चढ़ाई
8.	क्षेट्रपार दौड़ (क्रास कंट्री)
9.	फुटबाल
10.	ग्रीको
11.	जिम्नास्टिक
12.	हैंडबाल
13.	हॉकी
14.	जूडो
15.	कबड्डी
16.	कराटे
17.	राफ्टिंग
18.	निशानेबाजी
19.	तैराकी
20.	टेबल टेनिस
21.	वोलीबॉल
22.	वाटर स्पोर्ट्स
23.	भारत्तोलन
24.	कुश्ती
25.	वुशु
26.	अन्य खेल